फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री फतहलाल बनाम विपक्षी : श्री कैलाश

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 64/23

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 19.12.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर मूल वाद के निस्तारण तक प्रकरण में उभय पक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मूल वाद स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथारिथति बनाये रखने हेतु अपनी सहमती व्यक्ति की ताकि प्रकरण में वाद के निस्तारण से पूर्व किसी प्रकार के मौके के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः उभय पक्षकारान आपस में सहमत होने से प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी सहमती अनुसार स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी सहमती अनुसार स्वीकार किया जाता है कि मौजा बॉसडा पटवार हल्का बाँसडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 683 की आराजी नम्बर 2810 रकबा 0.0600 है. भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 13:54:24 IST
Reason: SelfAttested